न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0) जसपुर, उधम सिंह नगर।

प्रकीर्ण फौजदारी वाद सं0–184/2022

बिमलेश कुमारी बनाम सुरेश सिंह

<u>दिनांक 11.07.2026</u>

पुकार कराई गयी। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थिनी न्यायालय उपस्थित नहीं है। विपक्षी उपस्थित नहीं।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रार्थिनी उपस्थित नहीं है। प्रार्थिनी दिनांक 17.04.2026 व 11.06.2026 को न्यायालय उपस्थित नहीं आयी तथा आज भी प्रार्थिनी की ओर से कोई न्यायालय उपस्थित नहीं है एवं प्रार्थिनी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त से यह दर्शित होता है कि प्रार्थिनी को हस्तगत वाद में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद को लम्बित रखा जाना न्यायासंगत नहीं है।

3. अतः हस्तगत वाद प्रार्थिनी की अनुपस्थिति के दृष्टिगत खारिज किये जाने योग्य है। तदनुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाए।

(जहां आरा अंसारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0)
जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर